दैनिक
न्याय साक्षी

कलेक्टर ने नन्हें बच्चे को जाति प्रमाण-पत्र प्रदान किया

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सह जिला चिकित्सालय रायगढ़ में नन्हें बच्चे तनु महंत को जाति प्रमाण-पत्र प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के मंशानुरूप बच्चों के जन्म के समय ही जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश है। जिसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के परिवार में बच्चे के जन्म के बाद पिता के जाति के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र बनाया जाएगा। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु शिशु के पिता के जाति के संबंध में वर्ष 2006 के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर शिशु का जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा। वर्ष 2006 के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण-पत्र के समुचित सत्यापन उपरांत उसके आधार पर शिशु का जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इस अवसर पर रायगढ़ एसडीएम भागवत जायसवाल उपस्थित थे।

खुड़खुड़िया-जुआ खेला रहा व्यक्ति को सारंगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम गस्त दौरान थाना सारंगढ़ में पदस्थ सउनि दिलीप बेहरा द्वारा मुखबिर सूचना पर हमराह स्टाफ के साथ ग्राम जेवरा तालाब किनारे जुआ रेड की कार्यवाही किया गया जिसमें झंड़ी मुड़ी से खुडखुडिया जुआ खेलता मिला जिसने पूछताछ में अपना नाम रमेश कुमार जोल्हे पिता श्रीराम जोल्हे उम्र 32 वर्ष साकिन मधुबन थाना सारंगढ का निवासी होना बताया तथा खुडखुडिया से रूपये पैसे का हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेलाना स्वीकार किया। आरोपी के के पास से 06 नग झंड़ी मुड़ी गोटी, एक नग बांस का टोकरी, दांव में लगा हुआ एवं उनके पास से नगदी रकम 1130 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

टांगी प्रहार कर पुत्र की हत्या, छोटे बेटे के सहयोग से नदी में फेंका शव

दोनों आरोपी गिरफ्तार, थाना लैलूंगा क्षेत्र की घटना

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा के ग्राम पहाड लुडेग निवासी घुनेश्वर माझी पिता स्व0 केंदाराम माझी उम्र 70 वर्ष खेती किसानी का कार्य करता है। घुनेश्वर माझी के 04 पुत्र हैं, बड़ा लड़का बाहर रहता है तथा एक बेटा कुछ साल पहले फौत हो गया है। घुनेश्वर मांझी के साथ उसका लड़का छबिलाल माझी (40 साल) तथा मसत राम माझी (37 साल) अपने-अपने परिवार के साथ रहते थे। दिनांक 11.07.19 के सुबह करीब 10:30 बजे घुनेश्वर और उसके लडके छबिलाल के बीच तेंदू पत्ता पैसा की बात को लेकर झगडा हो गया जिस पर घुनेश्वर ने टांगी से छबिलाल मांझी के सिर तथा दाहिने कान के नीचे मारकर उसकी हत्या कर दिया और लाश को छिपाने की उद्देश्य से अपने छोटे लड़के मसत राम के साथ मिलकर केलो नदी उद्गम के पानी में फेंक दिया था। गांव में हो हल्ला होने पर कुछ लोग घुनेश्वर के घर के पास जाकर देखे शव घर के पास नहीं था किन्तु घर के बाहर काफी खून गिरा हुआ था और घर से पानी तक घसीटने का चिन्ह था , गांव के लोग नदी जाकर देखें छबिलाल का शव केलो नदी उद्गम स्थान के पानी में पडा था। घटना की रिपोर्ट थाना लैलूंगा में गांव के अमर साय पिता सुन्दर साय उम्र 45 वर्ष सा. पहाड़ लुडेग द्वारा दर्ज कराया गया जिस पर आरोपीगण घुनेश्वर माझी, मसतराम मांझी के विरूद्ध अप.क्र. 129/19 धारा 302, 201, 34 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

घटना की सूचना पर डॉयल 112 लैलूंगा राइनो भी ग्राम पहाड लुडेग पहुंची थी, जहां लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपी (1) घुनेश्वर माझी पिता स्व0 केंदाराम माझी उम्र 70 वर्ष (2) मसत राम माझी पिता घुनेश्वर माझी 37 साल को गिरफ्तार कर थाना लाये ।

मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी में लैलूंगा पुलिस एवं डॉयल 112 की सराहनीय भूमिका रही है।

पत्नी से किया विवाद फिर अपने ही 6 वर्षीय बच्ची की टांगी से कर दी हत्या

आरोपी युवक गिरफ्तार, पत्तथलगांव थाना क्षेत्र की घटना

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पत्नी के साथ मामूली विवाद को लेकर एक युवक ने अपनी छः वर्षीय बच्ची की टांगी से गला काट कर हत्या कर दी। इस जघन्य हत्या के बाद आरोपी ने मृत बालिका को घर के अन्दर ही दफन भी कर दिया। पत्थलगांव थाना अन्तर्गत ग्राम लुड़ेग में घटित इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने दफनाई गई लाश निकाल कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पत्थलगांव थाना प्रभारी ओपी ध्रुव ने बताया कि आज प्रातः आरोपी संदीप तिग्गा 25 वर्ष का अपनी पत्नी श्रीमती पूर्णिमा के साथ विवाद हो गया था। संदीप का गुस्सा देख कर उसकी पत्नी अपने दो नन्हे बच्चों को लेकर पड़ोस के परिजनों के घर चली गई थी। इस दौरान उसके पति ने घर में उपस्थित छः वर्षीय बच्ची पलक से ही मारपीट शुरू कर दी। पत्नी का विवाद को लेकर इस आरोपी ने अचानक बालिका की गर्दन पर टांगी से वार कर दिया। बाद में लहुलुहान बालिका को घर के कमरे में ही गडड्ढा खोदकर दफन भी कर दिया।

पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी की तलाश शुरू कर दी थी। आरोपी के हाथ में खून से सनी टांगी को देख कर उसके परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हो गई थी। जिससे पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस की टीम के साथ तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी जब घटना स्थल पहुंचे तो इस जघन्य हत्याकांड की जानकारी मिली। पुलिस ने आरोपी संदीप तिग्गा को हिरासत में ले लिया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' के लिए वेबसाईट www.nca-wcd.nic.in पर आवेदन आमंत्रित किए गए है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए गाईड लाईन प्रेषित है। जिसकी जानकारी वेबसाईट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है। इस संबंध में अधिकारी जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई रायगढ़ में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

फायनेंस कंपनी के ग्राहकों से लाखों रूपये डकार गये, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवेदक शेख अनवर वासा पिता शेख अब्दुल करीम एरिया मैनेजर एरोहान फायनेंशियल सर्विस लिमिटेड शाखा बरमकेला के द्वारा शाखा प्रबंधक देबीप्रसाद मोहंती पिता गंगनचंद्र मोहंती निवासी प्रेम भवन भागीरथ चौक बलांगीर जिला बलांगीर उडीसा एवं संतराम महानंद पिता आदि महानंद निवासी आमापाली थाना डोंगरीपाली जिला रायगढ छ0ग0 के विरूद्ध फायनेंस कम्पनी के ग्राहकों से कुल 2,30,000 रूपये का गमन कर कंपनी को आर्थिक क्षति पहूंचाने के संबंध में लिखित आवेदन थाना बरमकेला में दिया है। आवेदन जांच पर अनावेदकगण के विरूद्ध अप.क्र. 108/19 धारा 420,34 ता.हि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी की शाखा कार्यालय बरमकेला में वर्ष 2016 से 2018 में शाखा प्रबंधक के पद पर देबीप्रसाद मोहंती पदस्थ थे तथा कंपनी में संतराम महानंद फिल्ड आफिसर का कार्य कर रहा था। फिल्ड आफिसर संतराम के द्वारा ग्राहकों का समुह बनाकर कागजात तैयार किया जाता और शाखा प्रबंधक के द्वारा जांच पडताल कर राशि का भुगतान किया जाता था। दोनों के द्वारा बरमकेला तथा आसपास के गांव के कुछ लोगों के साथ कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम से भी फर्जी ऋण जारी कर लगभग 2,30,000 रूपये की राशि स्वयं के खर्च में उपयोग कर लिया गया है।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए

गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 | E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री त्यागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, अधिवक्ताओं के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सैद्धांतिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480